देशभर में मानसून की मार से शहर हुए पानी-पानी

- हिमाचल से मुंबई तक बाढ़ जैसे हालात
- कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली, 04 जुलाई. देशभर में लगातार हो रही बारिश ने कई राज्यों में बाढ़ और जलप्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि मैदानों और महानगरों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है.

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे अचानक आई बाढ़ और मलबे में कई वाहन दब गए. कई सड़कें बंद हो गई हैं और राहत-बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं. जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है. कई पहाड़ी मार्ग भूस्खलन की वजह से बाधित हैं और संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मुंबई और कोंकण क्षेत्र में लगातार बारिश से जलप्रलय जैसे हालात बन गए हैं. महज पांच घंटे में करीब 70 मिमी बारिश दर्ज होने से कई सड़कें पानी में डूब गई, निचले इलाकों में जलभराव हो गया और लोकल यातायात प्रभावित हुआ. गुजरात के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं. भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है और प्रशासन ने कई स्थानों पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया है. ओडिशा में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी अति भारी बारिश दर्ज की गई है. कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है और नदी-नाले उफान पर हैं. पूर्वी राजस्थान, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है.

> गुजरात के जूनागढ़ और भरूच जिलों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. जहां जूनागढ़ के मांगरोल में पिछले दो दिनों में रिकॉर्डतोड़ बारिश के कारण सोमनाथ नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है, वहीं भरूच के वालिया में महज दो घंटे की आफत ने एक पूरे गांव को टापू में तब्दील कर दिया. दोनों ही जगहों पर प्रशासन अलर्ट पर है और युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं. मांगरोल इलाका इस समय भीषण जलप्रलय का सामना कर रहा है. यहां महज दो दिनों के भीतर 35 से 40 इंच तक मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मांगरोल में हुई 20 इंच की एकमुश्त भारी बारिश के दबाव को बुनियादी ढांचा झेल नहीं पाया.

ममता बनर्जी खुद बनीं टीएमसी अध्यक्ष

कोलकाता, 04 जुलाई. पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे बड़े ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दौर से गुजर रही है. मई 2026 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों और सत्ता गंवाने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर छिड़ा अंदरूनी घमासान अब बिल्कुल चरम पर पहुंच गया है.

शनिवार को कोलकाता में टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला और गजब का ऐलान कर दिया, जिसने सूबे की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है. ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में घोषणा की है कि अध्यक्ष होने के नाते वे आज से खुद पश्चिम बंगाल राज्य टीएमसी अध्यक्ष का पदभार भी संभालेंगी. ममता ने पार्टी के दो सबसे आक्रामक और वफादार चेहरों मदन मित्रा और कुणाल घोष को राज्य कमेटी में शामिल करते हुए सीधे जनरल सेक्रेटरी जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. इस बड़े फैसले के बाद राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी ने विरोधियों और पार्टी के भीतर पनप रहे बागी सुरों को कुचलने के लिए सीधे कमान अपने हाथों में ले ली है. ममता का यह फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे पिछले 24 घंटों में हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा है.

> **चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छोड़ी जिम्मेदारी**
> पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के पार्टी ऑफिस पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया था और आज टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया.

विदाई यात्रा शुरू

खामेनेई की विदाई में गूंजे बदले के नारे

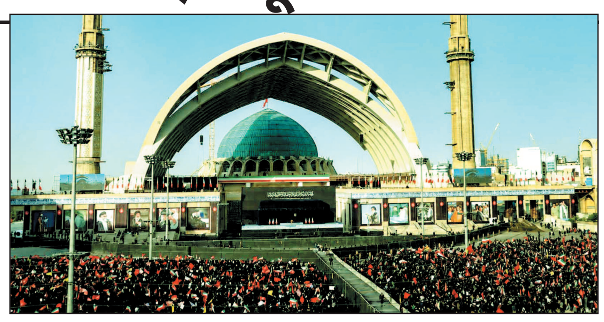

तेहरान, 04 जुलाई. ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली. ग्रैंड मोसल्ला परिसर और आसपास की सड़कों पर लाखों लोग जुटे.

शोक में डूबे लोग काले वस्त्र पहनकर पहुंचे और शिया परंपरा के अनुसार छाती पीटते हुए मातम मनाया. इस दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई. भीड़ में 'खून बहेगा', 'बदला, बदला' और 'अमेरिका मुर्दाबाद' जैसे नारे लगातार सुनाई दिए.

खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी धार्मिक और राजकीय रस्में 3 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेंगी. शुक्रवार को आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. हालांकि भारत, रूस, चीन और तुर्किये सहित कई प्रमुख देशों ने अपने शीर्ष नेताओं को नहीं भेजा और उनकी ओर से निचले स्तर के प्रतिनिधि शामिल हुए. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी. ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका ने मानवीय आधार पर ईरान को अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि रस्में समाप्त होने के बाद ईरान को अमेरिकी शर्तों पर निर्णय लेना होगा. दूसरी ओर, ईरान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को धमकी

नई दिल्ली/कैनबरा, 4 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के कमेंट में उन्हें कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी गई है.

धमकी मामले की जांच में जुटी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस

यह मामला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना है. कथित तौर पर यह कमेंट अबू मुस्तफा नाम के फेसबुक अकाउंट से किया गया था, जिसमें लिखा गया कि यदि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत बंद नहीं रखी गई, तो प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाया जा सकता है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े एड्रेस की पहचान किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.

हालांकि, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार किया है. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जांच जारी है और फिलहाल किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है.

डिप्टी सीएम शिंदे अस्पताल में भर्ती

मुंबई, 04 जुलाई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है और कहा है कि उन्हें निगरानी में रखा गया है. शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा था. इसी दौरान एकनाथ शिंदे को तेज बुखार और काफी कमजोरी महसूस हुई थी. शुरुआत में उन्होंने अपना आधिकारिक काम जारी रखा, लेकिन कुछ समय बाद तबीयत और खराब होने पर उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया.

उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 04 जुलाई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि दोनों फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दोनों आरोपियों ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि वे पिछले करीब छह वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई में अपेक्षित तेजी नहीं आई है. उन्होंने यह भी कहा था कि लंबे समय तक जेल में रहना उनके मौलिक अधिकारों पर असर डाल रहा है.

NAME CHANGE

I **MALEKA D/O FAKHRUDDIN** HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS **MALEKA SAKTALI WALA W/O SHABBIR HUSAIN** SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **MALEKA SAKTALI WALA W/O SHABBIR HUSAIN**

ADD: WARD NO 04, SUWASRA MANDSAUR

बाबा बर्फानी के दरबार पहुंचेगा दूसरा जत्था

श्रीनगर, 04 जुलाई. अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को 3,865 श्रद्धालुओं के दूसरे जत्थे को भगवती नगर बेस कैम्प से दक्षिण कश्मीर स्थित बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया गया.

तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षा घेरे में 2 काफिलों में रवाना हुआ. बालटाल रूट के लिए 1,735 तीर्थयात्री सुबह 3.13 बजे रवाना हुए जबकि पहलगाम रूट की ओर जाने वाले 2,130 तीर्थयात्री सुबह 3.38 बजे निकले, जिससे दूसरे जत्थे की कुल संख्या 3,865 हो गई. इस जत्थे में 2,965 पुरुष तीर्थयात्री, 618 महिलाएं, 230 साधु, 48 साध्वियां और 4 बच्चे शामिल हैं. तीर्थयात्री 201 वाहनों में यात्रा कर रहे हैं जिनमें 83 बसें, 14 मीडियम मोटर वाहन और

जम्मू से 3,865 श्रद्धालुओं का काफिला रवाना

104 लाइट मोटर वाहन शामिल हैं. कुल 115 वाहन बालटाल जाने वाले काफिले का हिस्सा हैं, जबकि 86 वाहन पहलगाम बेस कैंप की ओर निकले.

वहीं दक्षिण कश्मीर में स्थित बालटाल व पहलगाम-नुनवान बेस कैम्पों से शुक्रवार को अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को तड़के रवाना किया गया.

एक नजर में

टैक्स वसूली पर राहुल का बड़ा तंज

नई दिल्ली. देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़कों पर लगातार सामने आ रही सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जनता से लगातार टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन सुरक्षित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा. राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें विभिन्न राज्यों की सड़क धंसने की घटनाएं दिखाई गई हैं. वीडियो में कहीं लोग सड़क टूटने से गिरते नजर आते हैं, तो कहीं वाहन बड़े गड्ढों में फंसे दिखाई देते हैं. इन घटनाओं का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, 'कहीं कोई जिम्मेदारी ही नहीं है. सड़कें धंसती रहेंगी, जानें जाती रहेंगी, मोदी सरकार टैक्स वसूलती रहेगी.

हस्तियों के ट्वीट

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में हुई चंदे की चोरी से देश बहुत आहत है. आज गोवा में श्री हनुमान जी के मंदिर में हमने दर्शन किए और सबने मिलकर प्रार्थना की. श्री राम मंदिर में जिन-जिन पापियों ने घोटाले किए, उन पापियों को बचाने वालों को, सख्त से सख्त सजा मिले.

भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा बहुत अफवाएं फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए. लेकिन जिनके इरादे गलत थे, वो सफल नहीं हो पाए. दूर-सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा ईंधन सप्लाई में कोई बड़ी चुनौती नहीं आई.

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 70499 19126

जाहिर सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि **केनरा बैंक की खंडवा शाखा** से जुड़े **एनएनडी एजेंट - श्री उदय दहाले पिता नीलकंठ दहाले** की सेवाएँ धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अब यह एजेंट हमारी ओर से कोई भी काम करने या प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत नहीं है। जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। **केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्ति बाबत्)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से मांग सूचना की दिनांक से **60** दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक को सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार)के अधीन होगा ।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणियों/ जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दिनांक / धारण दिनांक	अचल संपत्तियों का विवरण	₹ बकाया राशि
1	मिल एरिया शाखा, इन्दौर	श्री अनील सेंधव पिता एके सिंह सेंधव (ऋणी)	21.04.26 / 01.07.26	पटवारी हल्का नं. 47, सर्वे नं. 376/3, ग्राम अरनिया जागिर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास पर स्थित व्यवसायिक परिवर्तित भूमि का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 0.1800 हेक्टर**, पंजीकृत गिफ्ट डीड नं. MP108942024A1427383 दिनांक 31.03.2024 के अनुसार जो उप/संयुक्त रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत है, **मालिक: अनील सेंधव, चर्तु:सीमा: उत्तर:** सरकारी सड़क, **दक्षिण:** सरकारी सड़क, **पूर्व:** सर्वे नं. 375, **पश्चिम:** सर्वे नं. 376/2, कल्याण सिंह सोबल सिंह पिता मान सिंह	**44,44,698** + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 05.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस

आपके, निवेदन पर हमारी शाखा द्वारा निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों, आपको विभिन्न वित्तीय साख सीमाएं स्वीकृत की थी एवं हमको देय कुल राशि में से आपने पूरी राशि भुगतान करने में चूक की है। चूकि आपने आपकी पूर्ण देयताओं के भुगतान में चूक की है अत: हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपकी देयताओं को गैर निष्पादक आस्तियों (NPA) के रूप में दिनांक **02.08.2024** (एनपीए तिथि) को वर्गीकृत किया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा अनेकों बार नोटिस देने एवं व्यक्तिगत निवेदन के पश्चात भी कथित ऋणों का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया गया। आपको विदित है कि हमारे द्वारा दी गई विभिन्न साख सीमाएं निम्न संपत्तियों (सुरक्षित संपत्तियों) द्वारा अभिरक्षित है।

क्रं.	ऋणी/संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता के नाम एवं पते	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / ₹ बकाया राशि
	क्लॉथ मार्केट शाखा, इन्दौर		
1.	**मेसर्स शुभेच्छा क्लॉथिंग प्रायवेट लिमिटेड (ऋणी) (डायरेक्टर्स) 1. श्रीमती रुचिका अग्रवाल एवं श्री राज छापरवाल** **यूनीट पुराना पता:** स्कीम नं. 94, ईडी-41, खजराना, इन्दौर (म.प्र.), **यूनीट नया पता:** वॉव बिज़िनेस बेय, स्काय बिज़िनेस पार्क, सिल्वर स्प्रिंग, फेस- II, इन्दौर **2. श्रीमती रुचिका अग्रवाल (डायरेक्टर एवं जमानतदार), रहवासी पता:** 423, सुनिकेत अपार्टमेंट, श्रीनगर एक्स्टेंशन, इन्दौर (म.प्र.) 452001 **3. श्री राज छापरवाल (डायरेक्टर एवं जमानतदार) रहवासी पता:** मकान नं. 25, एरोड्रम रोड, पल्हार नगर, इन्दौर (म.प्र.) **4. श्री समीर अग्रवाल (जमानतदार एवं बंधककर्ता), रहवासी पता:** 423, सुनिकेत अपार्टमेंट, श्रीनगर एक्स्टेंशन, इन्दौर (म.प्र.) 452001	**अचल संपत्ति:** रहवासी फ्लेट नं. 423, सुनिकेत अपार्टमेंट की एस-2 की दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 156, श्रीनगर एक्स्टेंशन कॉलोनी, खजराना मेन रोड से सटा हुआ, इन्दौर पर स्थित गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 1150 वर्गफीट अर्थात 106.87 वर्गमीटर, चर्तु:सीमा: उत्तर:** फ्लेट नं. 422, **दक्षिण:** खुला क्षेत्र, **पूर्व:** खुला क्षेत्र, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 424 **चल संपत्ति:** स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक	मांग सूचना दिनांक **17.06.2026** **4,22,00,113** + दिनांक 16.06.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व चार्जेस

उपरोक्त वर्णित कारणों से हम आपसे नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के अन्दर आपकी देयताओं की सम्पूर्ण रूप से भुगतान की मांग करते है जिसमें चूक की दशा में वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत हम अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे।आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** के हित मे प्रतिभूत की गई आस्तियाँ को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रय पत्र, लीज या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते है की यदि आपने अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना की तो वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2002 की उप धारा 29 के अर्न्तगत एक वर्ष की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। **अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 05.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India — 1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
क्षेत्रीय कार्यालय : भोपाल — **ई-नीलामी की सूचना**

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है और जो है जैसी है"** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा निम्नवर्णित दिनांक को बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

खाते / ऋणी का नाम एवं पता	बंधक संपत्तियों का विवरण एवं संपत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दि. / कब्जा दिनांक / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि
शाजापुर शाखा शाजापुर, फोन: 7024115087			
ऋणी- **मैसर्स रचना ऑयल मिल** (प्रो. सुश्री रचना पाटीदार पुत्री श्री कमल पाटीदार) जमानतदारः श्री राजेश पाटीदार पुत्र श्री रामचन्द्र पाटीदार	बंधक संपत्ति के मालिक : श्री राजेश पाटीदार पुत्र श्री रामचंद्र पाटीदार व्यवसायिक प्लाट भूमि सर्वे क्रमांक 181/2/2, पीएच क्रमांक 17 (पुराना पीएच क्रमांक 14) ग्राम-मोमन बड़ोदिया, पोस्ट ऑफिस एवं तहसील-मोमन बड़ोदिया, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश- 465001, भूमि क्षेत्रफल - 836.43 वर्ग मीटर अर्थात 9000 वर्गफीट चर्तुसीमाएं- पूर्वः राधेश्याम पुत्र सिद्धनाथ की भूमि, पश्चिमः रेखा बाई पत्नी रामबाबू की भूमि, उत्तरः कमल पाटीदार पुत्र रामचंद्र पाटीदार की भूमि, दक्षिणः आगर मेन रोड — भौतिक कब्जा	24/12/2024 / 02/04/2025 / दि. 24/12/2024 को ₹ 23,06,033.78 +दिनांक 24/12/2024 से ब्याज एवं खर्चे	₹ 39,20,000/- / ₹ 3,92,000/- / ₹ 10,000/-
ऋणी- **मेसर्स श्रीनाथ ट्रेडर्स (प्रोपराइटर- श्री कमल सिंह पाटीदार पुत्र श्री रामचंद्र पाटीदार)**	व्यावसायिक भूमि स्थित सर्वे नं. 180/2/2, प.ह. नं. 14, ग्राम-मोमन बड़ोदिया, पोस्ट ऑफिस मोमन बड़ोदिया, तहसील- मोमन बड़ोदिया, जिला शाजापुर, म.प्र. 465001, भूमि क्षेत्रफल - 2090 वर्ग मीटर / 22,500 वर्ग फीट संपत्ति मालिक- श्री कमल पुत्र श्री रामचंद्र चर्तुसीमाएं: उत्तर- राधेश्याम पाटीदार की भूमि, दक्षिण - रामेश्वर पाटीदार की भूमि, पूर्व - ओम प्रकाश पाटीदार की भूमि, पश्चिम- सारंगपुर- आगर रोड — भौतिक कब्जा	28.05.2024 / 23.08.2024 / दि. 28/05/2024 को ₹ 22,11,873/- +दि. 28.05.2024 से देय ब्याज एवं खर्चे	₹ 66,00,000/- / ₹ 6,60,000/- / ₹ 10,000/-

ईएमडी जमा करने की दिनांक एवं समय : 20.07.2026 को सायं 4.00 बजे या उससे पूर्व
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 21.07.2026 को सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
संपत्ति निरीक्षण दिनांक : 15.07.2026 को दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तो के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in अथवा http://BAANKNET देखें।
तारीख : 04.07.2026, स्थानः भोपाल — प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)
ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 47/सिविल/26-27/ग्रुप नं-01 से ग्रुप नं-09 तक — **निविदा आमंत्रण** — **दिनांक:** 03.07.2026

केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR, DATE 08-11-2025/NON SOR/ BUILDING SOR DATE-02-08-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_519110_1	झोन क्र. 21 वार्ड क्र. 79 के अन्तर्गत सुखनिवास, अहिरखेड़ी, हुक्माखेड़ी विदुर नगर, निहालपुर मुण्डी एवं वार्ड के अन्य आवश्यक स्थानों पर कीचड़ समस्या निवारण हेतु जी.एस.बी. एवं मुरम चुरी डालना।	120 दिवस ₹15,48,270/-	₹2,000/- ₹11,700/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
02	2026_UAD_519112_1	झोन क्र. 14 वार्ड क्र. 84 के अन्तर्गत शासकीय स्कूल परिसर में वर्षा जल निकासी हेतु स्ट्राम वॉटर लाईन डालना।	120 दिवस ₹10,96,266/-	₹2,000/- ₹8,300/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
03	2026_UAD_519113_1	झोन क्र. 14 वार्ड क्र. 82 के अन्तर्गत सुदामा नगर ई सेक्टर में शंकराचार्य द्वार से टोयोटा सर्विस सेंटर तक रोड का निर्माण करना। (तृतीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹53,27,751/-	₹10,000/- ₹40,000/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
04	2026_UAD_519114_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 17 के अन्तर्गत जगदीश नगर में मुख्य मार्ग का सीमेन्ट कांक्रीट करना। (तृतीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹72,90,244/-	₹10,000/- ₹54,700/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
05	2026_UAD_519115_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 11 के अन्तर्गत भागीरथपुरा में रफेली के पीछे बाबा आटा चक्की के सामने वाली गली एवं समीप गलियों का चौड़ीकरण कर सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य करना। (पंचम आमंत्रण)	180 दिवस ₹32,60,510/-	₹5,000/- ₹24,500/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
06	2026_UAD_519116_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 11 के अन्तर्गत भागीरथपुरा में 111, सरकारी स्कूल के सामने व पीछे की बस्ती एवं समीप गलियों की क्षतिग्रस्त सड़कों का सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य करना। (पंचम आमंत्रण)	180 दिवस ₹30,75,952/-	₹5,000/- ₹23,100/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
07	2026_UAD_519117_1	झोन क्र. 14 वार्ड क्र. 82 के अन्तर्गत गुरुशंकर नगर, श्रीराम नगर, सुदामा नगर एवं शांतिनाथ पुरी कॉलोनी में कीचड़ समस्या के समाधान हेतु जी.एस.बी. बिछाने का कार्य करना।	90 दिवस ₹3,59,720/-	₹2,000/- ₹3,600/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
08	2026_UAD_519118_1	झोन क्र. 17 वार्ड क्र. 18 के अन्तर्गत शिवकंठ नगर, भवानी नगर, भवानी नगर कांकड़, गोविन्द नगर खार्चा व अन्य सूचीबद्ध स्थानों पर कीचड़ समस्या निवारण हेतु मेटल पेंचवर्क का कार्य करना।	120 दिवस ₹19,85,660/-	₹2,000/- ₹14,900/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026
09	2026_UAD_519119_1	झोन क्र. 14 वार्ड क्र. 82 के अन्तर्गत वर्षा ऋतु में कीचड़ समस्या के समाधान हेतु जी.एस.बी. बिछाने का कार्य करना।	90 दिवस ₹4,26,940/-	₹2,000/- ₹4,300/-	15-07-2026 6.00 PM 17-07-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री (जनकार्य विभाग) नगर पालिक निगम, इन्दौर